ग्रेटर नौएडा औधोगिक विकास प्राधिकरण
एच169, चितवन एस्टेट, सैक्टर गामा,
ग्रेटर नौएडा सिटी ।

पत्रॉक:–वि0का0सम्पत्ति / 2015 / 33363
दिनॉक /06 / 2015

कार्यालय आदेश

बी.एच.एस.–12 एवं बी.एच.एस.–13 सैक्टर ईटा–।। में 86.67 वर्ग0मी0 के फ्लैटो के आवंटियो की मॉगो पर विचार करते हुए दिनॉक 07.05.2015 की बैठक में समिति द्वारा निम्नवत् निर्णय लिया गया ।

1. बी.एच.एस.–12 एव बी.एच.एस.–13 योजना मे जिन आवंटियो द्वारा योजना में आवेदन करते समय एकमुश्त भुगतान का विकल्प चुना था उन्हे कब्जा दिये जाने की निर्धारित तिथि से 10 प्रतिशत साधारण ब्याज आगणित किया जाये, जिसका समायोजन पट्टा प्रलेख निष्पादन किये जाने की तिथि पर अन्य देयो जैसे लीज रेन्ट इत्यादि में किया जायेगा ।

2. बी.एच.एस.12 योजना में दिनॉक 12.01.2011 तथा बी.एच.एस. 13 योजना में दिनॉक 23.07.2011 तक आवंटियो द्वारा किश्तो से नकद भुगतान योजना में परिवर्तित कराया गया है, को नकद भुगतान योजना के समान मानते हुए 10 प्रतिशत साधारण ब्याज दिया जायेगा ।

3. ब्याज का आगणन योजना में कब्जा दिये जाने की सम्भावित तिथि में 10 माह 3 दिन के शून्य काल को जोड़ते हुए कब्जे की तिथि मानी जायेगी जो कि बी.एच.एस.–12 में 15.06.2013 एव बी.एच.एस.–13 में 13.12.2014 मान्य है ।

उपरोक्त आदेश मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन उपरान्त जारी किया जा रहा है ।

(वी.पी. सिंह)
विशेष कार्याधिकारी (सम्पत्ति)

प्रतिलिपिः–

1. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एग) महोदय के अवलोकनार्थ ।
2. महाप्रबन्धक (वित्त) को सूचनार्थ प्रेषित ।
3. प्रभारी (सिस्टम) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त आदेश को प्राधिकरण की वैबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें ।
4. गार्ड फाईल ।

18/06/15

विशेष कार्याधिकारी (सम्पत्ति)